

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (ज़िला): STATE VIGILANCE AND

P.S.(थाना): KULLU

Year(वर्ष): 2024

FIR No(प्र.सू.रि.सं.):0003

Date & Time of FIR (एफआईआर की तिथि / समय):

17/02/2024 01:23 PM

2. S.No.(क्र.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धारा(एँ))
1	IPC 1860	420
2	IPC 1860	120-B
3	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): Intervening Day

Date From(दिनांक से): 24/07/2007

Date To(दिनांक तक): 17/02/2024

Time Period (समय अवधि):

Time From (समय से): 12:00 AM

Time To (समय तक): 12:00 AM

(b) Information received at P.S.(थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date(दिनांक): 17/02/2024

Time (समय): 12:00 AM

(c) General Diary Reference (रोजानामचा संदर्भ):

Entry No.(प्रविष्टि सं.): 009

Time (समय): 17/02/2024 12:26 PM

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S (थाना से दूरी और दिशा): EAST, 55 Km(s)

Beat No(बीट सं.)

(b) Address(पता): MATLA , SAINJ , 175134

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S(थाना का नाम): SAINJ

District(State)(ज़िला(राज्य)): KULLU(HIMACHAL PRADESH)

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): Bhupender Pal

(b) Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि /वर्ष): 23/07/1964

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)(पहचान विवरण(रेशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं., ड्रायविंग लायसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type(पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number(पहचान संख्या)
-------	-------------------------------	-------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	STREET NAME-THE THEN EO PS SVACB KULLU , VILLAGE-Drubal , TEHSIL-Kotli, PS-KOTLI, DISTRICT-MANDI, STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA
2	Permanent Address	STREET NAME-THE THEN EO PS SVACB KULLU , VILLAGE-Drubal , TEHSIL-Kotli, PS-KOTLI, DISTRICT-MANDI, STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):91-9418776691

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/ संदिग्ध /अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)	Parmanent Address (स्थायी पता)
1	Er.PK TANON		COLONY-SENIOR MANAGER HPPCL , VILLAGE-SAINJ , TEHSIL-SAINJ,PS-SAINJ,DISTRICT-KULLU,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA	COLONY-SENIOR MANAGER HPPCL , VILLAGE-SAINJ , TEHSIL-SAINJ,PS-SAINJ,DISTRICT-KULLU,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA
2	K.L HANGAL		COLONY-THE THAN DY. MANAGAR HPPCL,VILLAGE-SAINJ,TEHSIL-SAINJ , PS-SAINJ,DISTRICT-KULLU,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA	COLONY-THE THAN DY. MANAGAR HPPCL,VILLAGE-SAINJ,TEHSIL-SAINJ , PS-SAINJ,DISTRICT-KULLU,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA
3	D.K JMAWAL		COLONY-THE THAN J.E HPPCL , VILLAGE-SAINJ , TEHSIL-SAINJ ,PS-SAINJ,DISTRICT-KULLU,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA	COLONY-THE THAN J.E HPPCL , VILLAGE-SAINJ , TEHSIL-SAINJ ,PS-SAINJ,DISTRICT-KULLU,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA
4	GOURAV KAPOOR		COLONY-VIDYA BHAWAN ,VILLAGE-PALACE COLONEY ,TEHSIL-MANDI , PS-SADAR MANDI,DISTRICT-MANDI, STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA	COLONY-VIDYA BHAWAN ,VILLAGE-PALACE COLONEY ,TEHSIL-MANDI , PS-SADAR MANDI,DISTRICT-MANDI, STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA
5	GUNJAN KAPOOR			
6	RADHE SHYAM		COLONY-VIDYA BHAWAN ,VILLAGE-PLACE COLONEY ,TEHSIL-MANDI ,PS-SADAR MANDI,DISTRICT-MANDI, STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA	COLONY-VIDYA BHAWAN ,VILLAGE-PLACE COLONEY ,TEHSIL-MANDI ,PS-SADAR MANDI,DISTRICT-MANDI, STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA
7	Er B.D GUPTA		COLONY-THE THAN VALUER RETD., VILLAGE-HPPCL SAINJ ,TEHSIL-SAINJ , PS-SAINJ,DISTRICT-KULLU,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA	COLONY-THE THAN VALUER RETD., VILLAGE-HPPCL SAINJ ,TEHSIL-SAINJ , PS-SAINJ,DISTRICT-KULLU,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Nature Property (प्रकृति संपत्ति)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
-----------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	---------------------------------

10.Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11.Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू०डी०प्रकरण न०, यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी.संख्या)
-----------------	----------------------------------

12.First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

शिकायत संख्या SV&ACB (R-C/R-VHQ) Comp. 30/14 (KLU)-4347 दिनांक 26-02-2014 की आरम्भिक जाँच रिपोर्ट जो तत्कालीन जाँच अधिकारी निरीक्षक भूपेन्द्र पाल PS SV&ACB Kullu (Now Retired) द्वारा किये जाने पर प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया गया। जाँच रिपोर्ट से सम्बन्धित रिकार्ड धारा 17 -A The P.C Act 1988 (Amendment Act 2018) के अन्तर्गत हिमाचल सरकार / सक्षम अधिकारी को अनुमोदन / स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया जो स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। जाँच रिपोर्ट का सारांश निम्नलिखित है:- सोर्स रिपोर्ट की जाँच पर पाया गया कि सेंज जल विद्युत् परियोजना (SHEP) 100 MW के प्रयोजन हेतु फाटी सुचेहन कोठी बनोगी, फाटी गाडा पारली कोठी शैन्शर और फाटी व कोठी शैन्शर उप तहसील सेंज जिला कुल्लू में कुल रकवा 109-11-04 बीघा, सरकारी व निजी भूमि को अधिग्रहण करने हेतु हि.प्र. सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या विद्युत्-छ-7/2007 दिनांक 24-07-2007 के अनुसार जारी की गई है। इस अधिसूचना के अंतर्गत भूमि खसरा न. 2966/4/1 रकवा तादादी 2-0-0 बीघा (मलकियत भूमि श्री कृष्ण कुमार उर्फ किशोरी लाल) फाटी व कोठी शैन्शर को भी उपरोक्त प्रयोजन हेतु अधिग्रहण किया गया है। इस अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 11-08-07 को किया गया है और अधिसूचना की सार्वजनिक सूचना (Public Notice) दिनांक 18-08-07 को नायब तहसीलदार उप- तहसील सेंज के द्वारा जारी की गई है। अधिसूचना के समय इस भूमि का मालिक श्री कृष्ण कुमार उर्फ किशोरी लाल पुत्र कांशी राम निवासी सेंज और

भूमि की किस्म बाथल दोयम और बंजर कदीम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। श्री कृष्ण कुमार उर्फ किशोरी लाल ने उपरोक्त भूमि से रकवा तादादी 0-8-0 बीघा को ब्यय नामा अभिलेख संख्या 153 दिनांक 07-06-07 के श्री मति वीना देवी पुत्री श्री संतोष चन्द निवासी फाटी सुचेहन को मुल्लिक 70,000/- रु. में ब्यय की गई है, जिसका इन्तकाल न. 3034 दिनांक 28-07-07 को AC-II सैंज द्वारा स्वीकृत किया गया है। श्री मति वीना देवी द्वारा क्रय की गई 0-8-0 बीघा भूमि में से, रकवा तादादी 0-4-0 बीघा भूमि मुताविक ब्यय नामा अभिलेख संख्या 224 दिनांक 28-08-07 उप पंजीयक सैंज के अनुसार श्री गौरव कपूर और गुंजन कपूर पुत्रगण श्री राधे श्याम निवासी बिद्या भवन पैलेस कालोनी मंडी, जिला मंडी, जो श्री मति वीना देवी के सगे भाजे हैं को मुल्लिक 2,00,000/- रु. में अधिसूचना अधीन धारा 4 भू अर्जन अधिनियम जारी होने के बाद ब्यय की गई है। ब्यय नामा श्रीमति वीना देवी और गौरव कपूर, गुंजन कपूर के विशेष मुखत्यार धारक (दोनों के पिता) श्री राधे श्याम पुत्र श्री तन्ना राम निवासी विद्या भवन पैलेस कालोनी मंडी जिला मंडी के मध्य किया गया है। जिसका राजस्व अभिलेख में इंतकाल संख्या 3058 दिनांक 22-07-08 को अधिसूचना अधीन धारा 6,7 भू अर्जन अधिनियम जारी होने के बाद AC-II सैंज द्वारा स्वीकृत किया गया है। जाँच के दौरान प्राप्त किए गए श्री गौरव कपूर और गुंजन कपूर के अस्थाई निर्माण के मूल्यांकन (Valuation) से संबंधित दस्तावेजों के अवलोकन से पाया गया कि HPPCL (SHEP) शाढाबाई द्वारा मुताविक आदेश संख्या HPPCL/P&C/Awardletter/08-582-88 दिनांक 30-06-09 के अनुसार Er. B.D. Gupta, सुमन सदन, ज्वाला कालोनी शमशी जिला कुल्लू को अधिग्रहण की गई भूमि में बने स्थाई और अस्थाई निर्माण का मूल्यांकन करने के लिए Valuer, को कांट्रैक्ट पर hire किया गया था। कांट्रैक्ट के अनुसार Valuer द्वारा अधिग्रहण की गई भूमि में निर्माण किए गए स्थाई व अस्थाई निर्माण का मूल्यांकन HP standard schedule of rate 1999 और विभाग द्वारा तय किए गए निर्माण में प्रयोग लकड़ी के रेट के अनुसार किया गया है। श्री गौरव कपूर के अस्थाई निर्माण संख्या 28 के मूल्यांकन (Valuation) से संबंधित दस्तावेजों के अवलोकन व जाँच से पाया गया कि Valuer Er. B.D. Gupta और HPPCL के प्रतिनिधि श्री DK जम्बवाल द्वारा दिनांक 04-08-09 को मौका का निरीक्षण और पैमाइश करके मूल्यांकन (Valuation) रिपोर्ट भूमि मालिक व स्थानीय व्यक्तियों से तस्दीक करने के उपरांत तैयार की गई है। मूल्यांकन (Valuation) रिपोर्ट में Valuer और प्रतिनिधि HPPCL श्री DK जम्बवाल तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता द्वारा श्री गौरव कपूर के अस्थाई निर्माण न. 28 में क्रमांक 5 और 6 पर निर्माण का इन्द्राज पंचायत व राजस्व रिकार्ड में दर्ज न होना तहरीर किया गया है और क्रमांक 10 पर धारा 4 की अधिसूचना के समय 80 % निर्माण कार्य होना दर्शाया गया है और क्रमांक 27 में निर्माण अधिसूचना जारी होने के समय तीन माह पुराना तैहरीर किया गया है अस्थाई निर्माण की Valuer की पैमाइश रिपोर्ट को भूमि मालिक श्री गौरव कपूर, श्री DK जम्बवाल कनिष्ठ अभियंता HPPCL और Valuer द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। इसी प्रकार श्री गुंजन कपूर के अस्थाई निर्माण न. 29A, 29B में क्रमांक 5 और 6 पर निर्माण का इन्द्राज पंचायत व राजस्व रिकार्ड में दर्ज न होना तहरीर किया गया है और क्रमांक 10 पर धारा 4 की अधिसूचना के समय 80 % निर्माण कार्य होना दर्शाया गया है और क्रमांक 27 में निर्माण अधिसूचना जारी होने के समय तीन माह पुराना तहरीर किया गया है। अस्थाई निर्माण की Valuer की पैमाइश रिपोर्ट को श्री DK जम्बवाल JE HPPCL और मूल्यांकन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। मूल्यांकन रिपोर्ट (Computation of Compensation) के आधार पर श्री PK टंडन, बरिष्ठ प्रबन्धक, श्री KL हंगल, उप प्रबन्धक, HPPCL (SHEP) और Er. B.D. गुप्ता Valuer द्वारा गौरव कपूर के अस्थाई निर्माण संख्या 28 का मूल्यांकन मु. 4,31,291/- रु. और गुंजन कपूर के अस्थाई निर्माण संख्या 29A, 29B का निर्धारण मु. 5,03,189/- रु. निर्धारण/प्रस्तावित किया गया है। HPPCL के तत्कालीन अधिकारी Er. P.K. टंडन, बरिष्ठ प्रबन्धक, Er. K.L. हंगल, उप-प्रबन्धक, श्री D.K. जम्बवाल, कनिष्ठ अभियंता और Er. B.D. गुप्ता (Valuer) ने वास्तविक तथ्यों को नजर अंदाज करके, मूल्यांकन रिपोर्ट में बिना किसी आधार के लाभार्थियों से मिली भगत करके अनुचित लाभ पहुँचाने की नियत से मूल्यांकन रिपोर्ट में धारा 4 की अधिसूचना के समय श्री गौरव कपूर के अस्थाई निर्माण न. 28 और गुंजन कपूर के अस्थाई निर्माण न. 29A, 29B में क्रमांक 10 में 80 % निर्माण कार्य होना दर्शाया है और क्रमांक 27 में निर्माण अधिसूचना जारी होने के समय तीन माह पुराना तैहरीर किया गया है जबकि उपायुक्त कुल्लू द्वारा धारा-4 भू -अर्जन अधिनियम की अधिसूचना से तीन माह पहले दिनांक 04-04-2007 को अन्नौपलब्धता प्रमाण पत्र (inescapability certificate) जारी करने से पहले उप मण्डल अधिकारी (ना.) बंजर व तहसीलदार उप तहसील सैंज से तथ्यों की छानबीन करवाने के बाद उनकी रिपोर्ट के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किया है कि इस भूमि अधिग्रहण के कारण कोई भी व्यक्ति भूमिहीन व गृहहीन न हो रहा है तथा राजस्व अभिलेख में धारा 4 भू अर्जन अधिनियम की अधिसूचना से पहले उपरोक्त खसरा न. में निर्माण होने का इन्द्राज न पाया गया है। इसी निरधारण/प्रस्तावित मूल्य के अनुसार तत्कालीन Collector Land Acquisition, HPPCL Shimla-4 द्वारा suppl. Award No.1 dated 30-06-10 in main Award No. 607 dated 16-10-09 के अनुसार निर्धारित/प्रस्तावित मुआबजा राशि में solatium @ 30% और Addl. Charges u/s 23 (1A) of Land Acquisition Act @ 12% P.A. w.e.f. 18-08-07 to 13-05-10 जोड़ कर श्री गौरव कपूर को मु.

7,02,473/- रु. और श्री गुंजन कपूर को मु. 8,19,578/- रु. अस्थाई निर्माण का मुआबजा चैक के माध्यम से दिया गया है। मुआबजा राशी के चैक मुख्त्यार धारक (गौरव कपूर के पिता) श्री राधे श्याम पुत्र श्री तन्ना राम और गुंजन कपूर, निवासी विद्या भवन पैलेस कालोनी मंडी, जिला मंडी द्वारा प्राप्त किए गए हैं। जाँच पर पाया गया कि श्री मति वीना देवी के बिक्रय अभिलेख में उस समय उपरोक्त भूमि में किसी भी प्रकार के निर्माण का विवरण का उल्लेख न किया गया है और राजस्व अभिलेख में भी भूमि की किस्म बाथल दोयम और बंजर कंदीम दर्ज है। विक्रय अभिलेख के समय कोई अस्थाई निर्माण किया गया होता तो उसका उल्लेख भी बिक्रय अभिलेख में दर्ज होना आवश्यक था और नियमानुसार (धारा 54 Transfer of Property Act के अनुसार) निर्माण की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर स्टाम्प और पंजीकरण फ़ीस भी राज्य सरकार को अदा की जानी आवश्यक थी। बिक्रय अभिलेख के अनुसार विना देवी को भूमि की कीमत मु. 2,00,000/- रु. अदा की गई दर्शाई है जिससे यह पाया गया है कि दिनांक 28-08-07 को भूमि बिक्रय के समय इस भूमि में कोई भी अस्थाई निर्माण न था। भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 से धारा 9 तक की भू अर्जन कार्यावाही में श्री गुंजन कपूर और गौरव कपूर का नाम शामिल न पाया गया है क्योंकि राजस्व अभिलेख में उपरोक्त भूमि श्री कृष्ण कुमार उर्फ़ किशोरी लाल के नाम दर्ज थी और राजस्व अभिलेख में अधिसूचना अधीन धारा 6,7 भू -अर्जन अधिनियम जारी होने के बाद इंतकाल संख्या 3058 दिनांक 22-07-08 को AC-II सैंज द्वारा श्री गुंजन कपूर और गौरव कपूर के पक्ष में स्वीकृत किया गया है। भू अर्जन समाहर्ता द्वारा श्री गुंजन कपूर और गौरव कपूर का नाम भूमि खसरा न. 2966/4/1 तदादी 2-0-0 बीधा के मुआबजा के मूल्यांकन/निर्धारण और अदायगी हेतु तैयार किए गए दस्तावेज PARA-55 S.O. No.28 में शामिल किया गया है। जाँच पर पाया गया कि तत्कालीन Collector Land Acquisition HPPCL Shimla-4 द्वारा Award No. 607 dated 16-10-09 के अनुसार श्री गौरव कपूर द्वारा क्रय की गई भूमि खसरा न. 2966/4/1 डोडा विहाल रकवा 2 विस्वा का मुआबजा मुवलिक 53,555/- रु. और श्री गुंजन कपूर द्वारा क्रय की गई भूमि खसरा न. 2966/4/1 डोडा विहाल रकवा 2 विस्वा का मुआबजा मुवलिक 53,555/- रु. नियमानुसार अधिसूचना से एक वर्ष पहले की औसत कीमत के आधार पर निर्धारण करने के उपरांत चैक के माध्यम से प्रदान किया है। गौरव कपूर की मुआबजा राशि का चैक श्री राधे श्याम मुख्त्यार धारक और श्री गुंजन कपूर द्वारा स्वयं प्राप्त किया गया है व कुल 15,22,051/- रु.) अस्थाई निर्माण का मुआबजा प्रदान किया गया है जिससे लाभार्थियों को मुवलिक 15,22,051/- रु. का अनुचित लाभ और राज्य सरकार को अनुचित हानि हुई है। उपरोक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए HPPCL के तत्कालीन अधिकारी (1)Er. P.K. टंडन (सेवा निवृत्त) बरिष्ठ प्रबन्धक, (2)Er. K.L. हंगल (सेवा निवृत्त), उप-प्रबन्धक, तथा (3) श्री D.K. जम्बाल, कनिष्ठ अभियंता (सेवा निवृत्त, सहायक अभियंता) के विरुद्ध अपराध अधीन धारा 420,120B भा.द.स. और धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 तथा (4)श्री गौरव कपूर, (5) गुंजन कपूर, मुख्त्यार धारक(6) श्री राधे श्याम (लाभार्थियों) और (7)Er. B.D. गुप्ता (Valuer) के विरुद्ध अपराध अधीन धारा 420,120B भा.द.स. और का होना पाया जा रहा है और सोर्स रिपोर्ट की जाँच रिपोर्ट पर अभियोग पंजीकृत करने की सिफारिश की जाती है। जो जाँच रिपोर्ट मय पूर्ण अभिलेख के को सतर्कता मुख्यालय शिमला के पत्र संख्या SV&ACB (R-CR-HQ) Comp. 30/14 (KLU) -17749 Dated 22-8-2022 के HPPCL के उपरोक्त तत्कालीन HPPCL अधिकारियों के विरुद्ध अधीन धारा 17-A P.C Act 1988 (Amendment Act 2018) के प्रावधान के अनुसार अभियोग पंजीकृत अनुमोदन स्वीकृति हेतु हि, प्र. सरकार/ सक्षम प्राधिकारी के प्रेषित की। जिस पर (1) Er. P.K Tandan, तत्कालीन बरिष्ठ प्रबन्धक HPPCL के विरुद्ध मुताविक पत्र आदेश संख्या HPSEBL (SECTT) / V & I /8-2829/2023-848-56 dated 04-11-2023 (2) Er. K.L Hangal तत्कालीन उप प्रबन्धक HPPCL के विरुद्ध मुताविक पत्र आदेश संख्या HPSEBL (SECTT) / V&I /8-2829/2023-839-47 dated 04-11-2023 व (3) Sh. D.K Jamwal तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता HPPCL के विरुद्ध मुताविक पत्र आदेश संख्या HPSEBL (SECTT) / V&I/8-2829/2023-857-65 dated 04-11-2023 स्वीकृति धारा 17-A PC Act (Amended 2018) कार्यालय Executive Director (Pers.) HPSEBL विद्युत भवन शिमला -4 से अभियोग पंजीकृत करने की अनुमति प्राप्त होने पर सतर्कता नियमावली के आधार पर सतर्कता मुख्यालय शिमला के पत्र संख्या SV&ACB (R-CR-HQ) Comp. 30/14 (KLU) -3015 दिनांक 06-02-2024 के अभिलेख सहित कार्यालय पुलिस अधीक्षक SV & ACB CR Mandi के माध्यम से मुताविक पत्र पृष्ठांकन संख्या 1330 दिनांक 14-02-2024 के अभियोग पंजीकृत करने हेतु थाना में प्राप्त हुआ। कार्यावाही थाना - मजदून जाँच रिपोर्ट व पूर्व स्वीकृति अधीन धारा 17 A PC Act 1988 (Amended 2018) से (1) Er. P.K. टंडन (सेवा निवृत्त) बरिष्ठ प्रबन्धक, (2)Er. K.L. हंगल (सेवा निवृत्त), उप-प्रबन्धक, तथा (3) श्री D.K. जम्बाल, कनिष्ठ अभियंता (सेवा निवृत्त, सहायक अभियंता) (4) श्री गौरव कपूर, (5)गुंजन कपूर, (6) श्री राधे श्याम व (7) Er. B.D. गुप्ता (Valuer) उपरोक्त सभी के विरुद्ध अपराध अधीन धारा 420,120B भा.द.स. और धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 होना पाया जाने पर अभियोग संख्या 3/2024 पंजीकृत किया गया। जो FIR की जरूरी प्रतियाँ तैयार करके माननीय अदालत विशेष

न्यायधीश कुल्लू व अफसरान वाला की सेवा में भेजी जा रही है। मुकदमा विशेष नोईयत का है, लिहाजा FIR को ही विशेष रिपोर्ट समझा जाए। वकुआ का इन्द्राज सम्बन्धित रजिस्ट्रो इत्यादि में भी किया जा रहा है व विजिलेंस ब्यूरो की बैवसाईट में भी FIR को अपलोड करने के लिए अगल से ई.मेल भेजी जा रही है। मिस्ल मुकदमा तैयार करके वराये तफतीश निरीक्षक/ अनवेषणाधिकारी राम नाथ के हवाले की जा रही है।

13. Action taken Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है।):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): (जांच अधिकारी का नाम): Ramnath

Rank (पद): INSP. (Inspector)

No(सं.): N/A

to take up the investigation (को जांच आपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना):

District(ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित)

F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature/हस्ताक्षर

Signature of Officer in charge, Police Station

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name(नाम): Ajay Kumar

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendent of

No(सं.): NA

15. Date and time of dispatch to the court

(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					
2	Male					
3	Male					
4	Male					
5	Male					
6	Male					
7	Male					

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)